श्रीमान जी,

विनम्र निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा अपनी सम्पत्ति का विवरणपत्र वित्तीय वर्ष 2017–2018 और 2018–2019 का भौतिक रूप से उचित माध्यम से दिनांक 16.08.2019 को तथा वित्तीय वर्ष 2019–2020 तथा 2020–2021 का सम्पत्ति का विवरणपत्र ई–सर्विस ऐप के माध्यम से दिनाक 28.02.2022 को तृतीय वित्तीय वर्ष के भीतर माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद के परिपत्र संख्या–16/iv-H-16/Admin(A)दिनांकित 13 मई 2004 के अनुक्रम में तथा अनुपालन में प्रेषित किया गया था,जिसका ई–सर्विस अपलोडिंग केस I D No-P0005443022 है ।

यह भी उल्लेखनीय है कि FY- 2019–20 व 2020–21 के सम्पत्ति विवरण के संदर्भ में ई–सर्विस ऐप के माध्यम से उस पर यह आपत्ति लगायी गयी थी कि सम्पत्ति विवरण 2 Years block Policy block के अनुसार नही है।

अतः श्रीमान जी, प्रार्थी उक्त लगायी गयी आपत्ति का निवारण करते हुए पुनः 2018–2022 तथा 2020–2022 का सम्पत्ति–विवरणपत्र 2 Years block Policy के अनुसार ई–सर्विस Uploding कर रहा है ।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेरे द्वारा पूर्व में 2 ईयर ब्लाक वांड्स के आधार पर लगायी गयी आपत्ति का दूर करते हुए प्रेषित विवरणपत्र को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर प्रेषित ।

भवदीय,
Rakesh Vashisht
23-06-22
(राकेश वशिष्ठ)
विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)/
अपर जिला जज,पीलीभीत